पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2828
दिनांक-08/12/2025

जोन पश्चिमी/ थाना कैसरबाग

- **कैसरबाग पुलिस टीम द्वारा शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 02 अभियुक्तों का किया गया गिरफ्तार।**

1.संक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 08/12/2025 उ0नि0 गौरव निर्भाकर मय पालीगान 23 के कर्मचारीगण हे0का0 अखिलेश त्रिपाठी व का0 राहुल कुमार के देखभाल क्षेत्र ,शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत घसियारी मण्डी में मामूर था। आमजन द्वारा सूचना दी गयी कि बाल्दा कलोनी घसियारीमण्डी में दो व्यक्ति आपस मे लड़ाई झगड़ा कर रहे है।

प्राप्त सूचना पर मौके पर जाकर देखा कि प्रथम पक्ष के मुकेश सोनकर पुत्र स्व0 पुत्ती लाल सोनकर निवासी 17बी बाल्दा कलोनी घसियारीमण्डी कैसरबाग उम्र 48 वर्ष व द्वितीय पक्ष के रितिक सोनकर पुत्र वीरू सोनकर निवासी 17बी बाल्दा कलोनी घसियारीमण्डी कैसरबाग उम्र 23 वर्ष आमदा फौजदारी हो रहे है। मौके पर उभय पक्षो को हम पुलिस वालो द्वारा समझाने का काफी प्रयास किया गया नही माना ओर हम पुलिस वालों पर भी आक्रोशित होने लगा ।

इनके द्वारा शान्ति भंग करने व संगीन घटना कारित करने की पूर्ण सम्भावना को देखते हुए पक्ष उपरोक्त के मुकेश सोनकर को कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते हुए समय करीब 01.00 बजे हिरासत पुलिस लेकर अभियुक्तगण 1. मुकेश सोनकर 2. रितिक सोनकर उपरोक्त के विरुद्ध चालानी अंतर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के दौरान गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया व कराया गया । अभियुक्तग मुकेश सोनकर उपरोक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

(1). मुकेश सोनकर पुत्र स्व0 पुत्ती लाल सोनकर निवासी 17बी बाल्दा कलोनी घसियारीमण्डी कैसरबाग ,
(2). रितिक सोनकर पुत्र वीरू सोनकर निवासी 17बी बाल्दा कलोनी घसियारीमण्डी कैसरबाग उम्र 23 वर्ष

03.गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक व समय-

- बाल्दा कलोनी घसियारीमण्डी थाना कैसरबाग, जनपद लखनऊ; दि0- 08/12/2025 समय 01.00 बजे

04. गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 गौरव निर्भाकर
2. हे0का0 अखिलेश त्रिपाठी
3. का0 राहुल कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-2824
दिनांक-08.12.2025

जोन-मध्य/ थाना-महानगर

थाना महानगर पुलिस की बड़ी सफलताः धोखाधड़ी, दुष्कर्म व धर्मांतरण का आरोपी गिरफ्तार।

- **वांछित अभियुक्त वली मोहम्मद कुरैशी को दिल्ली के सरिता विहार क्षेत्र से गिरफ्तार किया।**
- **अभियुक्त पर धोखाधड़ी, दुष्कर्म, धमकी व धर्मांतरण को लेकर मुकदमा पंजीकृत था।**
- **थाना महानगर कमिश्नरेट लखनऊ की कार्यवाही ।**

01-कार्यवाही।-

थाना महानगर पुलिस टीम ने मुकदमा अपराध संख्या 311/2025, धारा 318(4)/69/351(3) BNS एवं 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 में वांछित चल रहे अभियुक्त को दिल्ली से गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।

02. घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **04.12.2025** को थाना महानगर, लखनऊ में उपरोक्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त **वली मोहम्मद कुरैशी**, पुत्र मो0 बिलाल अहमद, निवासी पट्टी हरनाम सिंह-08, सियाना, जनपद बुलन्दशहर (उम्र लगभग 25 वर्ष), मुकदमे में वांछित चल रहा था तथा लगातार फरार था।

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की *करंट लोकेशन* का टेक्निकल विश्लेषण कर उसका लोकेशन **दिल्ली** क्षेत्र में चिन्हित किया गया। इस पर थाना महानगर पुलिस टीम द्वारा तत्परता से दिल्ली प्रस्थान कर, **थाना सरिता विहार क्षेत्र, आली गाँव** से दिनांक **07.12.2025** को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

03-अपराध का तरीका- (Modus Operandi)-

अभियुक्त वली मोहम्मद कुरैशी पुत्र मो0 बिलाल अहमद नि0 पट्टी हरनाम सिंह -08 सियाना थाना सियाना जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 25 वर्ष के द्वारा वादिनी से शेयर मार्केटिंग के नाम पर पैसा ले लेना, शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म करना व जान से मारने की धमकी देना व तथा *धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालने* के सम्बन्ध में विरुद्ध दिनांक 04.12.2025 को **मु0अ0सं0 311/2025 धारा 318(4)/69/351(3) BNS व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021थाना महानगर लखनऊ पंजीकृत किया गया था**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2825
दिनांक 08.12.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- निगोहां

- **हत्या कर सबूत मिटाने के उद्देश्य से शव को जला देने वाले 05 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **हत्या में प्रयुक्त 02 अदद चार पहिया वाहन बरामद किये गये।**
- **थाना निगोहां पुलिस टीम की सफलता।**

01-कार्यवाहीः-

थाना निगोहां पुलिस टीम द्वारा युवक की हत्या कर सबूत मिटाने के उद्देश्य से शव को जला देने वाले 05 शातिर अभियुक्तों **01. सुजीत कुमार श्रीवास्तव** पुत्र आनन्द स्वरूप श्रीवास्तव निवासी ब्राह्मण टोला थाना नगराम जनपद लखनऊ उम्र 40 वर्ष **02. पिन्टू** पुत्र स्व0 शिवनाथ रावत निवासी बिलिया टोला थाना नगराम जनपद लखनऊ उम्र 32 वर्ष **03. विनोद** पुत्र विजय बहादुर निवासी नगराम थाना नगराम लखनऊ उम्र 26 वर्ष **04. लालू उर्फ नीरज कश्यप** पुत्र स्व0 नरेश निवासी ब्राह्मण टोला थाना नगराम लखनऊ उम्र 27 वर्ष **05. राजू उर्फ राजकुमार** पुत्र स्व0 शिवनाथ निवासी ग्राम अमवा मुर्तजापुर थाना नगराम जनपद लखनऊ उम्र 34 वर्ष को **देवीखेड़ा पुलिया से सलेमपुर अचाका की ओर जाने वाले मार्ग पर थाना क्षेत्र नगराम** से गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त दो स्विफ्ट डिजायर कार न0-UP32PA0272 व UP32LA7854 को भी बरामद करते हुए थाना निगोहां पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 226/2025 धारा-61(2),140(1), 103(1),238,351(3) बीएनएस में धारा-190/191(2)/191(3)/3(5) बीएनएस की वृद्धि कर, अभियुक्तगण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा रहा है।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण –

- दिनांक 19.11.2025 को वादी श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामचरन निवासी दखिना शेखपुर थाना निगोहां द्वारा सूचना दी गयी की उनका मित्र कबीर उर्फ शिव प्रकाश पुत्र स्व0 सुखलाल उम्र करीब-42 वर्ष निवासी उपरोक्त दिनांक 15.11.2025 से बिना बताये घर से चले गये तथा अभी तक उनका कोई पता नही चल सका है।
- वादी की सूचना के आधार पर थाना निगोहां पर गुमशुदगी संख्या– 45/2025 पंजीकृत की गयी तथा गुमशुदा की तलाश हेतु लखनऊ जनपद व आसपास के जनपदों से खोजबीन की गयी। उक्त संबंध में जनपद रायबरेली के थाना लालगंज व बीघापुर से संपर्क किया गया तो थाना बीघापुर द्वारा एक अज्ञात पुरुष का अधजला शव बरामद होना बताया। उक्त अज्ञात शव के फोटोग्राफ्स देखने के उपरान्त परिजनों द्वारा उक्त अज्ञात की शिनाख्त गुमशुदा कबीर उर्फ शिव प्रकाश के रुप में की गयी।
- उक्त गम्भीर प्रकरण के संबन्ध में वादी श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामचरन निवासी दखिना शेखपुर थाना निगोहां की तहरीरी सूचना के आधार पर जमीनी विवाद के संबंध में तत्काल थाना निगोहां पर मु0अ0सं0- 226/2025 धारा-61(2),140(1), 103(1),238,351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।
- प्रकरण की जाँच से पाया गया कि गुमशुदा की माता स्व0 सत्यवती के नाम करीब 44 बिस्वा जमीन थी जो कि रायबरेली लखनऊ राजमार्ग के किनारे स्थित है, जो काफी कीमती है। गुमशुदा का बड़ा भाई शिव सहाय गौतम तथा गुमशुदा कुल दो भाई हैं।

- गुमशुदा की माता स्व0 सत्यवती से गुमशुदा के बड़े भाई शिव सहाय ने पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी लेकर उक्त जमीन को थाना नगराम क्षेत्र के रहने वाले सुजीत कुमार श्रीवास्तव पुत्र आनंद स्वरूप तथा आशीष कुमार यादव पुत्र महेश्वर पाल सिंह यादव के माध्यम से सतगुरु पुत्र गुरु चरण निवासी ग्राम समेसी थाना नगराम जनपद लखनऊ के नाम संपूर्ण जमीन की माह जुलाई वर्ष 2019 में रजिस्ट्री कर दी तथा रजिस्ट्री के तुरंत बाद सुजीत कुमार श्रीवास्तव तथा आशीष यादव ने सतगुरु से उक्त जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अपने नाम करवा लिया तथा उसके बाद पुनः उस जमीन को **यथार्थ ग्रुप** के श्रवण कुमार के नाम पर पैसे लेकर रजिस्ट्री कर दी थी। जिसके बाद गुमशुदा कबीर ने उक्त प्रकरण के संबंध में मा0 न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया तथा अपने बड़े भाई शिव सहाय और सतगुरु को मुकदमे में पार्टी बनाया है तथा मुकदमा मा0 न्यायालय में विचाराधीन है, जिसकी पैरवी स्वयं गुमशुदा कर रहा था।
- श्रीमान पुलिस उपायुक्त दक्षिणी महोदय के आदेश के क्रम में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना स्थानीय पर तीन टीम गठित की गयी। गठित पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना कारित करने वाले 05 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में अन्य बिन्दुओं पर गहनता से जाँच की जा रही है।

03-हत्या का उद्देश्यः-

अभियुक्त सुजीत कुमार श्रीवास्तव ने वर्ष 2019 में योजनाबद्ध तरीके से मृतक कबीर उर्फ शिव प्रकाश के भाई शिव सहाय की जमीन **जो रायबरेली-लखनऊ राजमार्ग पर ग्राम दखिना थाना क्षेत्र निगोहा में स्थित** है को अपने दोस्त सतगुरु पुत्र गुरु चरन के नाम बैनामा कराई थी। इसे संदेह था कि सतगुरू उक्त जमीन को अन्य किसी को ना बेंच दे तो इसने अपने मित्र सतगुरु से उक्त जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट अपने तथा अपने साथी आशीष कुमार यादव के नाम करवा लिया था ताकि ये लोग उक्त जमीन की खरीद फरोख्त करके प्रतिफल प्राप्त कर सकें।

शिव सहाय की माता सत्यवती ने उक्त जमीन की वरासत मृतक कबीर उर्फ शिव प्रकाश के नाम कर दी थी। इन लोगों की योजना के बारे में मृतक कबीर उर्फ शिव प्रकाश को पता चल गया था। जिसके बाद कबीर उर्फ शिवप्रकाश ने अपने बडे भाई शिवसहाय और सतगुरु के विरुद्ध उक्त जमीन का मुकदमा मा0 न्यायालय में दायर कर दिया कबीर जिसकी लगातार पैरवी कर रहा था। इन लोगों ने उक्त जमीन को अच्छा दाम लेकर यथार्थ ग्रुप के श्रवण कुमार के रजिस्ट्री कर दी थी। **यथार्थ ग्रुप** का रास्ता इसी जमीन से निकल रहा था। इन्हे डर था कि कहीं कबीर मुकदमा न जीत जाए और **यथार्थ ग्रुप** वालों से जो पैसा लिया था वो वापस न करना पड़े।

न्यायालय के मुकदमे में हार न हो जिस कारण अभियुक्त सुजीत द्वारा योजनाबद्ध तरीके से आपराधिक षडयन्त्र के तहत अपने दोस्तों के साथ मिलकर मृतक कबीर उर्फ शिव प्रकाश को अगवा कर उसकी हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को पेट्रोल डालकर जला कर थाना क्षेत्र वीघापुर जनपद उन्नाव में फेंक दिया गया।

04-पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त सुजीत कुमार श्रीवास्तव ने पूछताछ में बताया कि इनके द्वारा अपने मित्रों के साथ योजनाबद्ध तरीके से कई कीपैड मोबाइल फोन एवं कई सिम कार्ड खरीदे मोबाइल शाप नगराम से खरीदे हुए कीपैड मोबाइल सिम डालकर मोबाइल का इस्तेमाल मैं ही करता था तथा चाइना कंपनी का एक अन्य मोबाइल जो मैने लखनऊ से खरीदा था दिलीप को दे दिया था। मैं और दिलीप योजना बनाने के लिए इन्ही दोनों नम्बरों से आपस में बात करते थे तथा समय-समय पर दिलीप दोनों नम्बरों से कबीर उर्फ शिव प्रकाश से बात करता था। दिलीप ने बातचीत करके धीरे-धीरे कबीर उर्फ शिव प्रकाश से नजदीकियां बढा ली थी।

दिनांक 15.11.2025 की शाम को कबीर उर्फ शिव प्रकाश को धोखे से बुलाने के लिये दिलीप ने मेरे द्वारा प्रयोग किये जा रहे मोबाइल से कबीर के मोबाइल पर काल की थी जिससे कबीर को यह आभास न हो कि दूसरा कोई व्यक्ति बात कर रहा है। दिलीप ने फोन से बात करके कबीर उर्फ शिवप्रकाश को लालपुर टावर के पास बुलाया जहां हम लोग पहले से योजनाबद्द तरीके से कार संख्या UP32PA0272 में मैं तथा मेरा साथी राजू तथा दूसरी कार संख्या UP32LA7854 जिसे दिलीप चला रहा था उसमें विनोद, पिन्टू, लालू उर्फ नीरज सवार थे।

थोड़ी ही देर में कबीर उर्फ शिवप्रकाश मौके पर आ गया। दिलीप तथा पिन्टू नें मिलकर कबीर उर्फ शिवप्रकाश को बात करते हुए बहला फुसलाकर बातों में उलझाते हुए गाड़ी मे बैठने के लिए कहा तो कबीर उर्फ शिवप्रकाश बैठने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मैने जबरन कबीर उर्फ शिव प्रकाश को गाड़ी में बैठाने के लिए इशारा किया तो दिलीप और पिन्टू नें कबीर उर्फ शिव प्रकाश को अपनी गाड़ी में खींचकर बैठा लिया और योजनाबद्ध तरीके से सुदौली मोड़ से भवरेश्वर मंदिर को जाने वाले रास्ते पर मुड़ गये ताकि कैमरे की नजर में न आ पायें इसलिए लिंक मार्ग का सहारा लिया।

कुछ देर में हम लोग गाड़ी में ही लालगंज डलमऊ पहुँच गए तथा पूर्व में बनाई गई योजना के मुताबिक शिवप्रकाश उर्फ कबीर को हम सब लोगों ने मिलकर गाड़ी के अंदर ही गला दबाकर मार दिया और हम सभी लोग योजनाबद्ध तरीके से लाश को ठिकाने लगाने के लिए सुनसान जगह की तलाश करते हुए डलमऊ लालगंज से घूमते घामते बीघापुर जनपद उन्नाव पहुच गए। जहां पर सुनसान जगह देखकर कबीर उर्फ शिवप्रकाश के शव को हाइवे मार्ग के किनारे बनी खाई में फेंक दिया और पेट्रोल डालकर शव को बोतल सहित जला दिया ताकि कबीर उर्फ शिवप्रकाश के शव की शिनाख्त न हो सके। जिसके बाद वहां से छिपते छिपाते लिंक मार्ग पकड़कर वापस आते समय हम लोगों ने रास्ते में ही कबीर उर्फ शिवप्रकाश के मोबाइल में पड़े सिम को निकालकर रास्ते में ही अज्ञात स्थान पर सिम तोड़कर मोबाइल व सिम फेंक दिया था तथा हम लोगों नें घटना में प्रयोग किए गये दोनों मोबाइल से सिम निकालकर अज्ञात स्थान पर रास्ते में हीं सिम तोड़कर सिम व मोबाइल फेंक दिया था और वापस अपने अपने घर आ गये थे।

05-अनावरित अभियोग-

- मु0अ0सं0- 226/2025 धारा- 61(2),140(1),103(1),238,351(3) बीएनएस एवं बढोत्तरी धारा 190/191(2)/ 191(3)/3(5) बीएनएस थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ।

06-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसाय:-

01. सुजीत कुमार श्रीवास्तव पुत्र आनन्द स्वरूप श्रीवास्तव निवासी ब्राह्मण टोला नगराम थाना नगराम जनपद लखनऊ उम्र 40 वर्ष , (प्रापर्टी डीलिंग)

02. पिन्टू पुत्र स्व0 शिवनाथ रावत निवासी बिलिया टोला नगराम थाना नगराम जनपद लखनऊ उम्र 32 वर्ष, (खेती)

03. विनोद पुत्र विजय बहादुर निवासी नगराम थाना नगराम लखनऊ उम्र 26 वर्ष, (पल्लेदारी)

04. लालू उर्फ नीरजकश्यप पुत्र स्व0 नरेश निवासी ब्राह्मण टोला नगराम थाना नगराम लखनऊ उम्र 27 वर्ष, (ठेला)

05. राजू उर्फ राजकुमार पुत्र स्व0 शिवनाथनिवासी ग्राम अमवा मुर्तजापुर थाना नगराम लखनऊ उम्र 34 वर्ष (खेती)

07-फरार अभियुक्त:-

01-दिलीप रावत पुत्र मत्थन उर्फ पूर्णमासी निवासी बिलिया मोहल्ला नगराम थाना नगराम लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष।

08-बरामदगी:-

1. दो स्विफ्ट डिजायर कार न0- UP 32 PA 0272 व UP32 LA 7854

09-आपराधिक इतिहास:- (सुजीत कुमार श्रीवास्तव)

1. मु0अ0स0- 214/2017, धारा-323,504,506 भादवि थाना नगराम जनपद लखनऊ।
2. मु0अ0स0- 220/2017, धारा-323,504,506,427 भादवि थाना नगराम जनपद लखनऊ।

10-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थाना निगोहां कमिश्नरेट लखनऊ, पुलिस टीम।

नोट- अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रूपये का पुरस्कार दिया गया।